49.	श्री लालचंद यादव	सदस्य
50.	श्री सुमनचंद करनानिया	एल्डरमैन
51.	श्री गुरविंदर घई	—"—
52.	" नरेश गोरख	—"—
53.	" अफरोज अहमद	—"—
54.	" नितेश सोनी	—"—
55.	" मनीष शर्मा	—"—
56.	" सुभाष पांडेय	सांसद प्रतिनिधि
57.	" महावीर चौहान	विधायक —"—

क्र.	प्रस्ताव	निर्णय
(21)	कुछ पुराने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सेवा मुक्त किया गया है। उनको पुन: नियुक्ति किए जाने हेतु विचार।	(21) प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत। नियमितिकरण के पश्चात जो श्रमिक शेष बचे हैं एवं प्लेसमेंट में कार्यरत नहीं हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर संबंधित विभाग से प्रतिवेदन लेकर शासन को अनुमति हेतु भेजें।

(1) (2) (3)

क्र	प्रस्ताव	निर्णय
22.	संजय काम्पलेक्स में पूर्व स्वीकृत योजना अनुसार पसरे निर्माण हेतु विचार।	(22) प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत। संजय काम्पलेक्स में पसरे निर्माण हेतु विधिक राय ली जावे कि मान. उच्च न्यायालय द्वारा किस विषय पर स्थगन लगाया गया है? संजय काम्पलेक्स में हुए अतिक्रमण को तत्काल हटाने की कार्यवाही की जावे तथा जिन बड़े दुकानदारों को पटेल वाली कृषि मंडी में दुकान आवंटित है उनका संजय काम्पलेक्स से कब्जा हटाया जावे तथा पूर्व में पसरे निर्माण हेतु किए गए सर्वे के आधार पर निर्माण कार्य कराया जावे।
23.	साप्ताहिक इतवारी बाजार में पसरा निर्माण हेतु विचार।	(23) प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत। इतवारी बाजार की कुल भूमि में से आधे भूमि पर छै: इंच के चबूतरे वाले पसरे का निर्माण किया जावे तथा उक्त स्थल पर हुए अतिक्रमण को तत्काल हटाने की कार्यवाही किया जावे।
24.	आगामी गर्मी से पेयजल की सुचारू पूर्ति की तैयारी हेतु विचार।	(24) प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत। ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल 2016 से प्याऊ खोला जाना सुनिश्चित करें तथा विभिन्न वार्डों में पेयजल टैंकर के माध्यम से किया जाता है, जिस हेतु टैंकरों में पानी निगम स्थित पानी टंकी से भरा जाता है, उसे तत्काल बंद कराते हुए पृथक से फायर हैंडिंग स्थापित किया जावे एवं जिन वार्डों में पार्षद के अनुरोध/आवेदन अनुसार बोर खनन कार्य कराया जावे।

क्र.	प्रस्ताव	निर्णय
25.	माननीय उच्च न्यायालय के दिशानिर्देश अनुसार शहर के म्युनिसिपल स्कूल, नटवर स्कूल, डिग्री कालेज खेल मैदान का व्यवसायिक उपयोग रोकने के संबंध में विचार।	(25) प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत परिषद यह निर्णय लेती है, कि खेल मैदानों को केवल खेल के उपयोग के लिए ही रखा जावे अन्य किसी प्रायोजन एवं व्यवसायिक उपयोग हेतु न दिया जावे।
26.	प्लेसमेंट कर्मचारियों के संबंध में विचार एवं निर्णय।	(26) प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत प्लेसमेंट श्रमिकों का ठेका अनुबंध शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
27.	वार्डों के विकास कार्य के प्राक्कलन की स्वीकृति पर रोक लगाने वाले कर्मचारियों पर कार्यवाही हेतु शासन को अनुशंसा कर प्रेषित।	(27) प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत। वर्तमान में विकास कार्यों में होने विलंब को ध्यान में रखते हुए सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि कार्यपालन अभियंता व सहायक अभियंता के द्वारा कार्यों पर लापरवाही या देरी किए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही किए जाने का निर्णय लेती है।
28.	केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड को कड़ेरापपुर स्थित रिक्त शासकीय भूमि पर न्यू बसस्टैंड करने पर विचार।	(28) प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत। बस स्टैंड की कार्य योजना तैयार कर परिषद की आगामी बैठक में रखा जावे।
29.	कमला नेहरु उद्यान में हो रहे अवैध निर्माण को रोके जाने एवं प्रकरण को परिषद एजेण्डा बनाने बाबत विचार।	(29) चावला रेस्टोरेंट के संबंध में परिषद में चर्चा उपरांत यह निर्णय बहुमत के आधार पर लिया गया कि कमला नेहरु उद्यान रायगढ़ शहर के मास्टर प्लान के ग्रीन बैंड में अंकित है। चावला रेस्टोरेंट को

25 सड़क चौड़ीकरण में विस्थापन के अंतर्गत व्यवसायिक उपयोग हेतु रेस्टोरेंट निर्माण की अनुज्ञा दिया जाना नियम विपरीत है। चावला रेस्टोरेंट नगर पालिक निगम किरायेदार को 25 सड़क चौड़ीकरण में प्रभावित होने से इनको उनकी मांग पर नियमानुसार अन्यत्र विस्थापित किया जावे। इस निर्णय से जिला प्रशासन को अवगत कराया जावे। इस निर्णय के विरोध में पार्षद श्री पंकज कंकरवाल श्री चंद्रप्रकाश पाण्डेय तथा श्री सीनू राव द्वारा अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए यह कहा गया कि चावला रेस्टोरेंट के संबंध में मामला अनुविभागीय दंडाधिकारी रायगढ़ के न्यायालय में लंबित है परिषद् को इस प्रस्ताव पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है।

सभापति
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)